



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

गृह निर्माणार्थ अनुमति पत्र

64

यह अनुमति केवल उत्तर नार नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत ही जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उत्तर भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार वा किसी स्थानीय नियम या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के गालिकाना अधिकारी पर किसी का कोई आरार पहुंच अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिक्रियों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्रीमती गोनिका शुला

पिता /पति का नाम श्री हुआ कूलदीप शुला
 (लॉट नं. सी. कृष्ण हॉटेलिंग एवं पार्टी नं. ३० नं. ४८
 मुहल्ला देली रोड लालगढ़ी लॉट बूल्डिंग दुला)
 में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो पार्थना-पत्र के साथ प्रलूब किये गये हैं, संघिव के विवरण रिवन चित्र के अनुसार
 निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।

47/प्र. अ. (भ०७) ज्ञो. - १७-१०

4/4/2011

संकेत
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :-

1. यह रखीकृत पत्र केवल पौंच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण रखीकृत मानदिव्र के अनुराग नहीं किया जाए है तो उसे गिरवया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यव भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना संचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा संघिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संपर्ह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति-पत्र में सङ्क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्रागेवशन जैसे कि पोर्टिको, बारला, लौँड्या, सीढ़ी, ज्ञाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह पिर से नये निर्माण की स्थीकृति पाहे उसके साथ नवरो में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3. मकान निर्माण से यदि नाली के सङ्क की पटरी अथवा सङ्क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अंगतावे पिछवाइ अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुंचे तो गृहस्थामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे छाने खर्च से मरम्मत करकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, मैं कर देगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय वियुत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी लॉस 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा ऊत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना चाहिए तथा उस आदमी जो नाम भी देता है उसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर लान का उल्लंघन होता पाया जाया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्थीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

